

राजस्थान सरकार  
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, राज0 जयपुर  
क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/काअ/10/ दिनांक:-

आदेश

राजस्थान अधीनस्थ कार्यालय लिपिकवर्गीय सेवा नियम 1999 के नियम 32 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की अभिशंषा के आधार पर निम्नलिखित कार्यालय सहायकों को वर्ष 2009-10 की रिक्तियों के विरुद्ध कार्यालय अधीक्षक के पद पर वरिष्ठता एवं योग्यता के आधार पर एतद द्वारा चयन/पदोन्नत किया जाता है :-

क्रसं	नाम कर्मचारी	जन्मतिथि	संवर्ग	सेवानिवृत्ति
1	श्री मोडीलाल	12.5.49	सामान्य	सेवानिवृत्त
2	श्री प्रहलादराय वर्मा	1.9.54	अजा	
3	श्री कैलाशचन्द्र श्रुंगी	10.8.57	सामान्य	
4	श्री श्याम सिंह चौहान	2.7.52	सामान्य	
5	श्री चिरंजीलाल बैरवा	19.1.50	अजा	
6	श्री लक्ष्मी नारायण खजोतिया	2.10.51	अजा	
7	श्री तेज सिंह	16.6.51	अजा	

चयनित कर्मचारियों के पदस्थापन आदेश अलग से जारी किये जावेंगे, तभी पदोन्नति पर तदनुसार वे अपनी उपस्थिति संबंधित अधिकारियों को प्रस्तुत कर सकेंगे ।

अति0निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज0 जयपुर

दिनांक:-25/11/10

क्रमांक:-ई-18/एम/डीपीसी/काअ/10/76

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु :-

- 1- समस्त संबंधित प्रशासनिक अधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राज0
- 2- समस्त संबंधित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी ।
- 3- आदेश/रक्षित पत्रावली ।

अति0निदेशक (प्रशासन)  
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं  
राज0 जयपुर